

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

मोपाल, दिनांक 31 मई, 2005

फा क्रमांक 1(अ)2/95/21-व(दो)-- राज्य शासन एतद्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष शासन की ओर से पक्ष समर्थन करने वाले उन विधि अधिकारियों के लिये जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में वर्णित हैं, उनके नाम के सम्मुख कॉलम (3) में दर्शायी गई वर्तमान रिटेनर फीस को पुनरीक्षित कर, कॉलम (4) में मासिक पारिश्रमिक (रिटेनर फीस) के रूप में दिनांक एक जून, 2005 से नियत करता है।

सारणी

क्र.	पदनाम	वर्तमान निश्चित मासिक पारिश्रमिक	पुनरीक्षित निश्चित मासिक पारिश्रमिक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महाधिवक्ता	रूपये 26,000/- (रु छब्बीस हजार केवल)	रूपये 30,000/- (रु तीस हजार केवल)
2.	अति. महाधिवक्ता	रूपये 21,000/- (रु इक्कीस हजार केवल)	रूपये 25,000/- (रु पच्चीस हजार केवल)
3.	उप महाधिवक्ता	रूपये 19,000/- (रु उन्नीस हजार केवल)	रूपये 23,000/- (रु तेईस हजार केवल)
4.	शास.अधिवक्ता/ अति.शास अधिवक्ता	रूपये 17,000/- (रु सत्रह हजार केवल)	रूपये 20,000/- (रु बीस हजार केवल)
5.	उप.शास अधिवक्ता	रूपये 15,000/- (रु पन्द्रह हजार केवल)	रूपये 17,000/- (रु सत्रह हजार केवल)

उक्त व्यय मांग संख्या 29--2014--न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परिषद--(3428) महाधिवक्ता 01-वेतन-001-अधिकारियों का वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

वित्त विभाग के यू.ओ.क्र.513/पक्रप/चार, दिनांक 27/05/2005 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। अतः यह प्रशासकीय विभाग इस आदेश को वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत महालेखाकार, ग्वालियर को पृष्ठांकित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

अतिरिक्त सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

क्रं 1(अ)2/95/21-ब(दो)


भोपाल विभाग का कार्यालय

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग (बजट-6) भोपाल के सदस्य में सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 2 महालेखाकार, मध्यप्रदेश लेखा एवं हकदारी ग्वालियर की ओर ता अतिरिक्त प्रतियां सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 3 उप निरीक्षक शासन केन्द्रीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सजपत्र में प्रकाशित करने हेतु।
- 4 महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर।
- 5 अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।
- 6 समस्त शासकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता तथा उप शासकीय अधिवक्ता जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

बजट शाखा/स्थापना शाखा/आपराधिक शाखा/सिविल शाखा/राज्य शाखा
विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(व्ही.के.जैन)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग